# फर्द अहकाम
# कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

**प्रार्थी :– श्रीमती गंगाबाई** **विपक्षी :– राज्य**

**किस्म मुकदमा – 128 भू.रा.अधि.** **पत्रावली संख्या : 83/22**

| क्रमांक | कार्यवाही विवरण | हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई |
|---|---|---|
| | दिनांक 29.07.2022<br>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित। विपक्षी राजपेरोकार द्वारा पत्थरगढी किया जाने पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की। अधिवक्ता प्रार्थीगण व राजपेरोकार की बहस सुनी गई।<br>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण में पत्थरगढी किया जाने का निवेदन किया। प्रार्थनाग्रस्त भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि हैं। विपक्षीगण प्रार्थीगण की भूमि के पडोसी खातेदार हैं। प्रार्थनाग्रस्त भूमि की सीमा को लेकर प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य विवाद बना रहता हैं। अतः विवाद समाप्ति के लिए पत्थरगढी किया जाना उचित हैं। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की सीमा को लेकर विवाद होने से पत्थरगढी किया जाना आवश्यक हैं। अतः प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता हैं।<br>**–: आदेश :–**<br>प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा ईण्टाली पटवार हल्का ईण्टाली की आराजी नम्बर 5641/1244, 5709/1244, 5710/1244, 5960/1244, 5961/1244 किता 5 रकबा 1.8049 हेक्टेयर भूमि के पश्चिम, उत्तर एवं दक्षिण दिशाओं की सीमा की पत्थरगढी कर सीमाकंन कराया जावें। पत्थरगढी हेतु तहसीलदार मावली को 500/– पांच सौ रूपया कमिश्नर शूल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि सभी पक्षकारान एवं पडोसी खातेदार की उपस्थिति में पत्थरगढी कराई जाकर पालना प्रस्तुत करे। पालना हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जाकर पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। फीस कमिश्नर राशि का भूगतान प्रार्थीगण अदा करेगें।<br>निर्णय खुले ईजलास लिखा जाकर सुनाया गया।<br>**(कपिल कुमार कोठारी)**<br>**सहायक कलक्टर**<br>**(SDO)मावली** | |

Signature Not Verified

Digitally signed by Kapil Kumar Kothari
Date: 2022.08.03 15:22:52 IST
Reason: SelfAttested